सं०सं०—11 / टी0वी0(कोर्ट)—03 / 2018..................(11)
स्वास्थ्य निदेशालय,
बिहार, पटना

<u>शुद्धि—पत्र</u>

CWJC No.3128/2018 राम प्रताप राय एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक—13.03.2018 को पारित न्यायादेश के आलोक में निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के द्वारा एक सकारण आदेश ज्ञापांक—466(11), दिनांक—04.06.2018 निर्गत किया गया था, जिसमें उक्त वाद के क्रमांक 03 अंकित याचिकाकर्ता सुमित्रा देवी के पति—स्व0 रामबहादुर राय की सेवा 10 वर्षों से कम रहने के कारण उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया था, परन्तु वित्त विभागीय परामर्श एवं बिहार पेंशन नियमावली गहन अवलोकन से ज्ञात हुआ कि मृत्यु की स्थिति में 10 वर्षों की सेवा आवश्यक नहीं है। तद्नुसार श्रीमती सुमित्रा के पति स्व0 राम बहादुर राय को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने हेतु संबंधित संलेख प्रारूप में संशोधन कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाता है।

अतः आदेश ज्ञापांक—466(11), दिनांक—04.06.2018 इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य बातें यथावत रहेंगी।

ह0 / —
(डा0 आर0डी0 रंजन)
निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः—11 / टी०बी०(कोर्ट)—03 / 2018— ...777....(11) **पटना, दिनांक**— 27/ 7 / 2018

प्रतिलिपि :— श्रीमती सुमित्रा देवी, पति—स्व0 राम बहादुर राय, ग्राम—लगुना सर्याकांत, पो0 करबधा, थाना—समस्तीपुर, जिला—समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :—आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण),
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

D:\Navin kr. Thakur\shudhi patra.docx